

UPAD010111592023



न्यायालय विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)प्रयागराज

मुकदमा नम्बर-168 / 2023

कम्प्यूटर मुकदमा संख्या-742 / 2023

सरकार

बनाम

दान बहादुर सिंह

मुकदमा अपराध संख्या 712 / 2020

धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम(संशोधन)2003

थाना-एपीटी जिला-प्रयागराज।

दिनांक-31.01.2024

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त **दान बहादुर सिंह** की तरफ से प्रार्थनापत्र मय समन शुल्क रसीद प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश चन्द्र गोसाई एवं विशेष लोक अभियोजक श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, को सुना गया है।

श्री राकेश चन्द्र गोसाई द्वारा उक्त रसीद धनराशि **मु.-2000/-** शमनशुल्क सत्यापित किया गया है जिसके अनुसार उक्त धनराशि विभाग में जमा है। अतः भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-152 की उपधारा-3 के तहत अपराध को प्रशमनित मानते हुए अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **दान बहादुर सिंह** को **मुकदमा अपराध संख्या-712/2020 धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम(संशोधन) 2003** थाना एपीटी जिला प्रयागराज से दोषमुक्त किया जाता है। यदि इस प्रकरण में अभियुक्त **दान बहादुर सिंह** पर विद्युत विभाग का कोई अन्य देय अवशेष हो तो विद्युत विभाग उक्त अभियुक्त **दान बहादुर सिंह** से नियमानुसार वसूलने/कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(चन्द्रपाल द्वितीय)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
प्रयागराज
JO Code-UP-6072